[ 2018 ] 4 एस. सी. आर 560

एलटी। COL। विजयनाथ झा

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

( 2013 की सिविल अपील संख्या 2020)

18 मई, 2018

[ ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007:

एस. 3 ( 0 ) – भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी (अपीलार्थी) मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन (DGQA) में शामिल

बचाव-डी. जी. क्यू. ए. में अपीलार्थी को स्थायी समर्थन देने से इनकार-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए इनकार आदेश-अपील पर विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज किया गयाः गणनाएँ

एस के तहत। 3 ( 0 ) इंगित करें कि वे सभी सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं

सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के अधीन व्यक्ति-न्यायाधिकरण के समक्ष विवादित आदेश एक अलग संगठन द्वारा दिया गया था

इसलिए, इसे अर्थ के भीतर सेवा विषय नहीं माना जा सकता है।

एस. 3 ( ओ)-एसएस। 27 और सेना अधिनियम की धारा 33 भी वर्तमान मामले में सेना अधिनियम, 1950-एस में लागू नहीं होती हैं। 27 और 33-नौसेना अधिनियम, 1957-वायु सेना अधिनियम, 1950।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 को सशस्त्र बलों द्वारा निर्णय या परीक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

आयोग के संबंध में विवादों और शिकायतों का न्यायाधिकरण,

सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों की नियुक्ति, नामांकन और सेवा की शर्तें। [ पैरा 12] [566-ए-बी]

2. सेवा मामलों की परिभाषा समावेशी है।

परिभाषा। 2007 के अधिनियम की धारा 3 (ओ) में निहित गणनाओं पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि वे सभी सेना के अधीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं।

अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950। एस की अंतिम गणना, अर्थात (iv)। 3 ( 0 ) "कोई अन्य बात जो भी हो", पहले तो शर्म आती है; ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त गणना बहुत व्यापक है।

560 एलटी। COL। विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

जो अन्य सभी अवशिष्ट श्रेणियों को शामिल कर सकता है। लेकिन, वाक्यांश "कोई भी अन्य विषय जो भी हो" अन्य तीन गणनाओं और धारा 3 (ओ) के मुख्य प्रावधान से रंग लेना है। सेवा प्रदाता होने के लिए किसी मामले की पूर्व शर्त उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार, किसी मामले को सेवा मामले के रूप में माने जाने के लिए, यह उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित होना चाहिए। [ पैरा 14] [567-सी-ई]

3. तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एक

4. वर्तमान मामले में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष जो कार्रवाई की गई थी, वह स्थायी इनकार था। क्यू. ए. एस. बी. द्वारा डी. जी. क्यू. ए. में अपीलार्थी का समर्थन। स्थायी के लिए

एक आयोग अधिकारी के समर्थन में, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश थे, जो स्थायी समर्थन को विनियमित करते थे, अर्थात सरकारी आदेश दिनांक 28.10.1978, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता था और भारत सरकार का O. M. दिनांक 22.12.1993। अपीलार्थी का गैर-चयन, जिसे आवेदन में आक्षेपित किया गया था, एक अलग संगठन द्वारा किया गया था, यानी डी. जी. क्यू. ए. के क्यू. ए. एस. बी. द्वारा। इसलिए, कार्रवाई से पहले आक्षेप किया गया

न्यायाधिकरण को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 3 (ओ) के अर्थ के भीतर सेवा का मामला नहीं माना जा सकता है। [ पारस 22,23] [573-सी-ई] [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. वर्तमान मामले में, धारा 27 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अनुभाग

27 सेना अधिनियम, 1950 के तहत पीड़ित अधिकारियों को केंद्र सरकार को शिकायत प्रस्तुत करने का एक उपाय प्रदान किया गया है, यदि उनके साथ किसी कमांडिंग अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अन्याय किया गया है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां कमांडिंग अधिकारी या अपीलार्थी के किसी वरिष्ठ अधिकारी की किसी भी कार्रवाई की शिकायत या पूछताछ की गई हो। [ पैरा 25] [574-बी]

6. सेना अधिनियम की धारा 33 में "अधिकारों की रक्षा" का प्रावधान है।

बलपूर्वक "। धारा 33 वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती है। उपस्थित मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी कोई दावा कर रहा हो। सेना अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के अधीन व्यक्तियों को प्रदत्त विशेषाधिकार। [ पारस 26,27] [574-सी, एफ]

भारत संघ और अन्य बनाम। कर्नल जी. एस. ग्रेवाल (2014)

7 एस. सी. सी. 303; मोहम्मद अंसारी बनाम भारत संघ और

अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 740: [ 2017 ] 1 एससीआर 422 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

( 2014 ) 7 एससीसी 303

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 1 एससीआर 422

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2020

2013 से।

द्वारा 23.08.2012/11.09.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011/एम. ए. के ओ. ए. सं. 104 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, लखनऊ की क्षेत्रीय पीठ। नं. 72/2012।

लेफ्टिनेंट कर्नल विजयनाथ झा (व्यक्तिगत रूप से)।

संदीप सेठी, एएसजी, सुश्री अलका अग्रवाल, एम. के. मारोरिया, प्रकाश गौतम, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

एलटी। COL। विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. हमने अपीलार्थी को सुना है

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और श्री संदीप सेठी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

भारत के लिए जनरल।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा सशस्त्र बलों द्वारा पारित 23.08.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर 2011 की आई. डी. 1 को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इसे दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपीलार्थी को वापस कर दिया गया है।

अपीलार्थी को भारतीय सेना में इंजीनियरिंग अनुशासन में 11.03.1989 पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को बाद में चुना गया था और 31.05.2004 से गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (DGQA) में शामिल किया गया। दो वर्ष पूरे होने पर अपीलार्थी था -

डी. जी. ई. एम. ई. के अंतर्गत स्वदेशीकरण निदेशालय को हस्तांतरित किया गया। गुणवत्ता आश्वासन चयन बोर्ड (क्यू. ए. एस. बी.) का आयोजन डी. जी. क्यू. ए. संगठन में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए किया गया था। क्यू. ए. एस. बी. द्वारा अपीलार्थी को स्थायी समर्थन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अपीलार्थी ने एक वैधानिक शिकायत दायर की

डी. जी. क्यू. ए. में स्थायी समर्थन। शिकायत उस समय दर्ज की गई थी जब अपीलार्थी सेना में काम कर रहा था। शिकायत को रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया था। चूंकि, शिकायत DGQA संगठन से संबंधित थी, इसलिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग ने दिनांक 17.12.2007 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की वैधानिक शिकायत को खारिज कर दिया। 2011 का O. A. No.104 अपीलार्थी द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें दिनांकित 17.12.2007 आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों के साथ DGQA संगठन को स्थायी समर्थन देने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

4. प्रतिवादी द्वारा ओ. ए. में एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। जब ओ. ए. को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था

23.08.2012 प्रत्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि ओ. ए. में आवेदक द्वारा दावा की गई राहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में बनाए रखने योग्य नहीं है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति पर पक्षों को सुना और 23.08.2012 दिनांकित आदेश के माध्यम से माना कि O. A. बनाए रखने योग्य नहीं है। निर्णय के अनुच्छेद 16 को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. आवेदक की मुख्य शिकायत यह है कि उसे स्थायी समर्थित, डी. जी. क्यू. ए. संगठन के लिए नहीं माना गया था और हम सेना अधिनियम और सेना नियमों में कोई उल्लंघन नहीं पाते हैं और यह एक अलग संगठन है जिसमें शामिल करने, नियुक्ति और पदोन्नति के लिए दिशानिर्देश हैं और सेवा मुख्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
सेना अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी को (एस. आई. सी.) स्थायी समर्थन का दूसरा कार्यकाल प्रदान करना। के नियम और शर्तें

डी. जी. क्यू. ए. में सेवा अधिकारी सेना अधिनियम या सेना नियमों का निर्माण नहीं है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण डी. जी. क्यू. ए. मामलों के निर्णय के लिए सही मंच नहीं है। इसलिए मूल आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इसे दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ आवेदक को वापस कर दिया जाता है।

6. प्रत्यर्थी द्वारा इस अपील में एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें उनकी आपत्ति दोहराई गई है कि ओ. ए. में अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी। 7. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाला अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि डी. जी. क्यू. ए. में अधिकारियों को कार्यकाल की नियुक्ति पर सशस्त्र बलों से लिया जाता है और उसके बाद उनके मामलों को दिनांक 28.10.1978 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांकित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्थायी समर्थन के लिए माना जाता है।

22.12.1993 . डी. जी. क्यू. ए. रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक संगठन है और यह सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों से बना है, जिसमें नागरिक व्यक्ति भी शामिल हैं, इस प्रकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास होगा

डी. जी. क्यू. ए. से संबंधित मामले पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 3 (ओ) (iv) पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि उसका मामला उक्त प्रावधान द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। अपीलार्थी

जो सेना अधिनियम, 1950 के अधीन है, भारतीय सेना का एक कमीशन अधिकारी होने के नाते सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से बहुत अच्छी तरह से संपर्क कर सकता है। पर भरोसा

ब्रिगेडियर के मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ का निर्णय। ए. के. भूटानी बनाम भारत संघ ने 19.04.2011 पर निर्णय लिया है। अपीलार्थी ने अपने निवेदन का समर्थन करने के लिए सेना अधिनियम, 1950 की धारा 27 और 33 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया है।

एलटी। COL। विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ अशोक भूषण, जे।]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 3 (0) में परिभाषित सेवा मामले की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। वह प्रस्तुत करता है कि स्थायी समर्थन से इनकार DGQA चयन बोर्ड द्वारा किया गया था। कोई आदेश नहीं अपीलार्थी के खिलाफ सेना अधिनियम या सेना नियमों के तहत पारित किया गया था जिसके खिलाफ अपीलार्थी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकता था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। कर्नल जी. एस. ग्रेवाल, 2014 (7) एस. सी. सी. 303 और मोहम्मद अंसारी बनाम भारत संघ और अन्य, 2017 (3) एस. सी. सी. 740 में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर। वे प्रस्तुत करते हैं कि सेवा मामले जिनके संबंध में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है, वे सेना के कर्मियों के सेवा मामले हैं जिन्हें सेना अधिनियम, सेना नियमों और उसमें बनाए गए विनियमों के तहत निपटा गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष जो कार्रवाई की गई थी, वह सेना की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं थी जिसकी शिकायत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकती थी। उन्होंने आगे कहा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने सही ढंग से खारिज कर दिया है

अपीलार्थी का ओ. ए. रखरखाव योग्य नहीं है।

9. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और गौर किया है

अभिलेखों को।

10. एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दायर मूल आवेदन पहले बनाए रखने योग्य था।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण?

17.12.2007 जिसके द्वारा अपीलार्थी की शिकायत को केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं को पूर्वव्यापी रूप से सभी परिणामी लाभों के साथ डी. जी. क्यू. ए. संगठन में स्थायी समर्थन देने के निर्देश के लिए प्रार्थना की थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) ने अपीलार्थी के आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि उसके पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रिब्यूनल ने फैसले के पैरा 16 में कहा है कि सेना अधिनियम और सेना नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और डीजीक्यूए में किसी भी सेना अधिकारी के स्थायी समर्थन के दूसरे कार्यकाल के अनुदान में सेवा मुख्यालय की कोई भूमिका नहीं है संगठन। इसके अलावा, सेवा अधिकारियों के नियम और शर्तें

डी. जी. क्यू. ए. में सेना अधिनियम या सेना नियमों का निर्माण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों ने यह पता लगाने के लिए देखा है कि क्या न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने से इनकार करने में त्रुटि की है। एड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट, 2007 को सेना अधिनियम, 1950, नौसेना के अधीन व्यक्तियों के संबंध में कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सीई की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा लाइसेंस या परीक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950। खंड 2 से संबंधित है

अधिनियम की व्यवहार्यता, जो निम्नलिखित अधिनियम के लिए हैः

" 2. अधिनियम की प्रयोज्यताः ( 1 ) इस अधिनियम के प्रावधान सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

( 2 ) यह अधिनियम सेवानिवृत्त कार्मिकों पर भी लागू होगा, बशर्ते -

सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या वायु सेना अधिनियम, 1950, जिसमें उनके आश्रित, उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी शामिल हैं,

जहाँ तक यह उनके सेवा मामलों से संबंधित है।

13. धारा 3 एक परिभाषा खंड है। धारा 3 (ओ) "सेवा" को परिभाषित करती है।

rs ", जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" 3 ( 0 ) " अधीन व्यक्तियों के संबंध में सेवा मामले

सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) का अर्थ है - उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित मामले और

शामिल करें

( (i)। पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ; ( (ii) कमीशन, नियुक्ति, नामांकन सहित कार्यकाल,

परिवीक्षा, पुष्टि, वरिष्ठता, प्रशिक्षण, पदोन्नति,

प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, सेवा की समाप्ति और दंडात्मक कटौती;

( (iv) कोई अन्य मामला, जो भी हो, लेकिन इसमें संबंधित मामले शामिल नहीं होंगे - ( i) नौसेना अधिनियम, 1957 एल. टी. की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18 के तहत जारी आदेश।

COL. विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ अशोक भूषण, जे।]

( 62 1957 का) और वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18; (45

1950) और

( सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से या इकाई, गठन या जहाज के एक भाग के रूप में पोस्टिंग पर स्थान या इकाई के परिवर्तन सहित स्थानांतरण और पोस्टिंग।

और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45);

( (ग) किसी भी प्रकार की छुट्टी।

( (iv) संक्षिप्त कोर्ट मार्शल, सिवाय इसके कि जहां बर्खास्तगी या तीन महीने से अधिक के कारावास की सजा हो।

14. प्रावधान में कुछ मामलों को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान मामला बहिष्कृत श्रेणियों में शामिल नहीं है, इसलिए प्रावधान का वह हिस्सा वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है। सेवा मामलों की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। धारा 3 (0) में निहित गणनाओं पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि वे सभी सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं। अंतिम गणना, अर्थात, (iv) "कोई भी

अन्य बात जो भी हो ", पहली बार में शर्म आती है; ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त

गणना बहुत व्यापक है जिसमें अन्य सभी अवशिष्ट श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन, वाक्यांश "कोई भी अन्य विषय जो भी हो" अन्य तीन गणनाओं और धारा 3 (ओ) के मुख्य प्रावधान से रंग लेना है। सेवा प्रदाता होने के लिए किसी मामले की पूर्व शर्त उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार, किसी मामले को सेवा मामले के रूप में माने जाने के लिए, यह उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित होना चाहिए।

15. ऊपर उल्लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डी. जी. क्यू. ए. में दो साल का कार्यकाल दिया गया था।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश। दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, अपीलार्थी सेना में वापस आ गया। डी. जी. क्यू. ए. में स्थायी समर्थन के लिए अपीलार्थी के दावे पर क्यू. ए. एस. बी. द्वारा विचार किया गया, जिसमें उसे क्यू. ए. एस. बी. द्वारा स्थायी समर्थन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, जिसके संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। डी. जी. क्यू. ए. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करने वाला एक संगठन है और डी. जी. क्यू. ए. के चयन बोर्ड द्वारा एक सेना अधिकारी के स्थायी समर्थन के सवाल पर विचार किया गया था। स्थायी न देने का निर्णय

डी. जी. क्यू. ए. में अपीलार्थी का समर्थन किसी भी तरह से [2018] 4 एस. सी. आर. को प्रभावित नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कमीशन अधिकारी के रूप में अपीलार्थी की सेवा शर्तें। न्यायाधिकरण ने 2010 की टी. ए. संख्या 125, मेजर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया है। जनरल एस. बी. अकाली आदि। आदि। बनाम। भारत संघ और अन्य। उपरोक्त मामले में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में आवेदक के चयन का प्रश्न विचाराधीन था। आपत्ति जताई गई कि ए. एफ. टी. के पास दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने अनुच्छेद 12,13,14 और 15 में न्यायमूर्ति ए. के. माथुर, अध्यक्ष (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए कहा हैः

" 12. हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और हमारी राय है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 3 (0) के साथ पठित धारा 2 के अनुसार, इस न्यायाधिकरण के पास सेना की सेवा शर्तों से निपटने के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र है।

अधिनियम और नियम, लेकिन, वर्तमान मामला, जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद के लिए डी. आर. डी. ओ. द्वारा याचिकाकर्ता का चयन न करने से संबंधित है और यह सेना अधिनियम या नियमों के तहत अधिक्रमण नहीं है, यह 23 नवंबर, 1989 के कार्यालय ज्ञापन के डी. आर. डी. ओ. नियमों के तहत है। इस प्रकार, यह न्यायाधिकरण इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए डी. आर. डी. ओ. द्वारा चयन पर नहीं बैठ सकता है कि क्या याचिकाकर्ता को सही ढंग से प्रतिस्थापित किया गया है या नहीं, क्योंकि सेवा

डी. आर. डी. ओ. के अधीन सहायक अधिकारियों की शर्तें हैं -

23 नवंबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विनियमित और यह सेना अधिनियम और नियमों के तहत नहीं है। इसलिए यह

न्यायाधिकरण के पास इस मामले का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता का अधिक्रमण।

जनरल।

13. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम प्रारंभिक का समर्थन करते हैं

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील की आपत्ति और प्रधान पंजीयक को इस मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दें ताकि मामले का निर्णय इसके अनुसार किया जा सके -

कानून। 14. इसी तर्ज पर ब्रिगेडियर पी. जे. एस. रंगार और ब्रिगेडियर आनंद सोलंकी (2010 का टी. ए. सं. 221) का भी मामला है। इस मामले में पदधारियों को स्थायी रूप से गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के पास भेजा गया था। यह समय-समय पर संशोधित 28 अक्टूबर, 1978 के ओ. एम. द्वारा भी शासित होता है। इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना 18 फरवरी, 2008 के ओ. एम., 15 मई, 2008 के पत्र और पैनल में शामिल टी. सी. ओ. एल. को रद्द करने की है।

विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ अशोक भूषण, जे।]

16 जून, 2008 का आदेश और उत्तरदाताओं को 31 जनवरी, 2008 के पैनल में शामिल करने के आदेश को लागू करने और उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देना।

पैनल में उनकी वरिष्ठता के साथ।

15. सेवा की शर्तें दिनांकित ओ. एम. द्वारा शासित होती हैं। 28 अक्टूबर, 1978 और याचिकाकर्ताओं का गैर-चयन

ये रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन द्वारा दिए जाते हैं। सेना अधिनियम और नियमों के तहत किसी भी सेवा शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का गैर-चयन ओ. एम. में उल्लिखित सेवा शर्तों के कारण होता है।

दिनांक 28 अक्टूबर, 1978, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसलिए, इस मामले में प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति को भी बरकरार रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस न्यायाधिकरण को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

इस मामले में निर्णय लेने के लिए प्रधान पंजीयक को इस मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दें।

कानून के अनुसार। ”

16. उपरोक्त निर्णय को संदर्भित किया गया है और इसके द्वारा भरोसा किया गया है

नल।

17. भारत संघ और अन्य के मामले में। बनाम। कर्नल जी. एस. वैल, (2014) 7 एस. सी. सी. 303, उसी प्रश्न की कमी से संबंधितए. एफ. टी. का उच्चारण विचार के लिए आया। तथ्यों को निर्णय के ग्राफ 3 में देखा गया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 3. उत्तरदाता भारतीय सेना में मेजर के रूप में शामिल हुए। निस्संदेह, उस क्षमता में वे सेना अधिनियम, 1950 के अनुशासन के अधीन थे। यह एक सामान्य प्रथा है कि सशस्त्र बलों, अर्थात् सेना, वायु सेना या नौसेना बल से संबंधित कर्मियों को रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य कार्यालयों में भेजा जाता है, जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालय शामिल हैं।

विकास और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। हम.

यहाँ रक्षा विभाग से संबंधित हैं

उत्पादन, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक (संक्षेप में "डीजीक्यूए") के साथ-साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (डीपीएसयू) है। प्रत्यर्थी को मेजर के पद पर 6-11-2004 पर DGQA के पास भेजा गया था। उस समय यह अस्थायी समर्थन। "[2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. एक नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसने डी. जी. क्यू. ए. में आगे की पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उन्होंने चुनौती दी कि

नीतिगत निर्णय और परिणामस्वरूप आदेश। न्यायाधिकरण के समक्ष, मेजर में प्रधान पीठ का निर्णय। जनरल एस. बी. अकाली आदि। (ऊपर) आदि पर भरोसा किया गया था, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण ने आवेदन पर विचार करने का निर्णय लिया, हालांकि, यह कहा कि इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश से व्यथित भारत संघ ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले पर विचार किया और ए. एफ. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को समाप्त कर दिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या दावा की गई राहत पूरी तरह से डी. जी. क्यू. ए. के अधिकार क्षेत्र में थी या उस मामले के लिए, मंत्रालय

बचाव या इसे अभी भी धारा 3 (0) के तहत सेवा मामले के रूप में माना जा सकता है। पैरा 26 में निम्नलिखित आयोजित किया गया थाः

" 26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री भाटी अपनी प्रस्तुति के समर्थन में ए. एफ. टी. अधिनियम या यहां तक कि सेना अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन कई अन्य दस्तावेज जिन पर विद्वान वकील भरोसा कर रहे हैं, वे न्यायाधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। दूसरा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, चंडीगढ़ पीठ द्वारा विवादित फैसले में या मेजर जनरल एस. बी. अकाली मामले में प्रधान पीठ द्वारा ऐसे किसी भी पहलू पर विचार नहीं किया जाता है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी सेना अधिनियम के अधीन है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि न्यायाधिकरण के पास है

ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष लाए गए किसी भी मामले से निपटने की अधिकारिता। यह उस विषय-वस्तु पर निर्भर करेगा जो

न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण के समक्ष लाया गया यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या ऐसा विषय-मामला ए. एफ. टी. अधिनियम की धारा 3 (0) में निहित "सेवा मामलों" की परिभाषा के भीतर आता है। मेजर जनरल एस. बी. अकाली मामले में प्रधान पीठ ने मुख्य रूप से इस पर विचार किया। द. विषय-वस्तु
लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति थी

सामान्य और यह पदोन्नति नियमों द्वारा शासित थी

डी. आर. डी. ओ. की नीति में निहित है और सेना अधिनियम के तहत नहीं। इसलिए, तत्काल मामले में, यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या दावा की गई राहत पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के भीतर है या नहीं। डी. जी. क्यू. ए.
या उस मामले के लिए, रक्षा मंत्रालय या इसे अभी भी ए. एफ. टी. अधिनियम की धारा 3 (0) के तहत "सेवा मामले" के रूप में माना जा सकता है और दो पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और अटूट रूप से एल. टी. हैं।

COL। विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ अशोक भूषण, जे।]

एक-दूसरे के साथ मिश्रित। इस तरह की कवायद दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की जानी है। ऐसा नहीं किया गया है। इस कारण से, हम अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को न्यायाधिकरण को वापस भेजना उचित समझते हैं। इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए।

19. यद्यपि उपरोक्त मामले में, इस अदालत ने अंततः यह निर्णय नहीं लिया कि क्या उक्त मामले में प्रतिवादी जी. एस. ग्रेवाल का दावा किया जा सकता है। ए. एफ. टी. द्वारा मनोरंजन किया जाए या नहीं। अदालत ने मामले को इस बात पर विचार करने के लिए भेज दिया कि क्या दावा पूरी तरह से डी. जी. क्यू. ए. के अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार, ए. एफ. टी. के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति डी. जी. क्यू. ए. में स्थायी समर्थन का दावा करता है, राहत की प्रकृति और चुनौती दी गई कार्रवाई को प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखा जाना चाहिए। इसके बाद का फैसला

मोहम्मद अंसारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय का। , ( 2017 ) 3 एस. सी. सी. 740, इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इस मामले में, अपीलार्थी को सीमा सड़क अभियांत्रिकी सेवा (बी. आर. ई. एस.) में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को संगठित समूह ए के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया गया था। उसने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 2012 का मूल आवेदन संख्या 102 दायर किया। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का फैसला किया, जिसका विरोध किया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उसके पास अपीलार्थी के दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश से व्यथित भारत संघ ने न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह प्रश्न तैयार किया कि क्या जी. आर. ई. एफ. के सदस्य को सशस्त्र बलों का सदस्य माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 और केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965 का उल्लेख करने के बाद कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसका एकमात्र उपाय अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन दायर करना है। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाला अपीलकर्ता

इस अदालत के सामने आया। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न की भी जांच की कि क्या सशस्त्र बल में आने के बाद

बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007, यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण होगा जो विवाद से निपटेगा या उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र होगा। भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम। कर्नल जी. एस. ग्रेवाल, (ऊपर) को इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था और फैसले के पैराग्राफ 26 को उद्धृत करने के बाद, पैरा 29 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 29. इस प्रकार, जी. एस. ग्रेवाल मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी 1950 के अधिनियम के अधीन है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि न्यायाधिकरण को ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष लाए गए किसी भी मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। यह उस विषय-वस्तु पर निर्भर करेगा जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाता है और न्यायाधिकरण को यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या ऐसा विषय-वस्तु 2007 के अधिनियम की धारा 3 (0) में निहित "सेवा विषय" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

20. इस न्यायालय ने पैराग्राफ 33 और 34 में आगे कहाः

" 33. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट मार्शल फैसलों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई के लिए जी. आर. ई. एफ. कर्मियों की स्थिति, हालांकि, एक अलग आधार पर खड़ी प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्याय VI के प्रावधान यानी अपराध, अध्याय VII यानी सजा, अध्याय X यानी "कोर्ट मार्शल", आदि पूरे बल के साथ लागू होते हैं, जो जी. आर. ई. एफ. पर लागू होने वाले मामूली अपवादों और संशोधनों के अधीन होते हैं। इसलिए, 1950 के अधिनियम के प्रावधान, जो कोर्ट मार्शल क्रा जी. आर. ई. एफ. कर्मियों द्वारा दिए गए विभिन्न दंडों से संबंधित हैं, ए. एफ. टी. के समक्ष उत्तेजित किए जा सकते हैं और ए. एफ. टी. के पास अदालत के मार्शल फैसलों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उक्त मामलों के संबंध में ए. एफ. टी. का अधिकार क्षेत्र होगा। इनकार करना

उक्त न्यायाधिकरण की अधिकारिता 1950 के अधिनियम और 2007 के अधिनियम के तहत बनाए गए प्रावधानों के विपरीत होगी। विस्तार से, जी. आर. ई. एफ. के कर्मियों द्वारा ए. एफ. टी. से संपर्क करने का अधिकार

जिन पर उसी अधिनियम के तहत आयोजित कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। उसी समय, यदि विभागीय के माध्यम से जी. आर. ई. एफ. कर्मियों पर दंड लगाया जाता है

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत आयोजित कार्यवाही स्पष्ट रूप से इसे ए. एफ. टी. के समक्ष आंदोलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में जुर्माना 1950 के अधिनियम के तहत नहीं होगा, लेकिन

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत होगा। अंतर, जैसा कि वर्तमान में कानून मौजूद है, किया जाना चाहिए।

34. उपरोक्त से, जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह है कि ए. एफ. टी. के पास (i) जी. आर. ई. एफ. कर्मियों की अदालतों के सैन्य फैसलों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इस हद तक केवल ए. एफ. टी. का ही अधिकार क्षेत्र होगा। उसी समय, यदि एल. टी.

COL। विजयनाथ झा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [ अशोक भूषण, जे।]

जी. आर. ई. एफ. कर्मियों पर दंड लगाया जाता है

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही को ए. एफ. टी. के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है और (ii) ए. एफ. टी. के पास शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

जी. आर. ई. एफ. कर्मी उनके नियमों और शर्तों से संबंधित

सेवा या वैकल्पिक रूप से "सेवा मामले" रखें।

21. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि ए. एफ. टी. अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है यदि कार्रवाई, जिसकी शिकायत की जाती है,

सेना अधिनियम, 1950, कोर्ट मार्शल फैसले का उदाहरण दिया गया था जिसके अधीन जी. आर. ई. एफ. के कर्मी थे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि जी. आर. ई. एफ. के कर्मियों से सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही में प्रशासनिक रूप से निपटा गया है, तो उसे ए. एफ. टी. के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, ए. एफ. टी. के समक्ष जो कार्रवाई की गई है, वह स्थायी समर्थन से इनकार करना था।

क्यू. ए. एस. बी. द्वारा डी. जी. क्यू. ए. में अपीलार्थी का। एक आयोग अधिकारी के स्थायी समर्थन के लिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश थे, जो स्थायी समर्थन को विनियमित करते थे, अर्थात सरकारी आदेश दिनांक 28.10.1978, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता था और भारत सरकार का O. M. दिनांक 22.12.1993। अपीलार्थी का गैर-चयन जो था

आवेदन में एक अलग संगठन, यानी डी. जी. क्यू. ए. के क्यू. ए. एस. बी. द्वारा आक्षेप किया गया था। 23. इस प्रकार हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित कार्रवाई को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 3 (0) के अर्थ के भीतर सेवा विषय नहीं माना जा सकता है।

24. अपीलार्थी, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ है, ने आगे दो प्रावधानों, अर्थात् सेना अधिनियम की धारा 27 और धारा 33 पर भरोसा किया है।

1950 , जो नीचे दिए गए अनुसार निकाले गए हैंः

" 27. पीड़ित अधिकारियों का निवारण। कोई भी अधिकारी जो अपने कमांडिंग अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा खुद के साथ अन्याय करता है और जो अपने कमांडिंग अधिकारी को दिए गए उचित आवेदन पर वह निवारण प्राप्त नहीं करता है जिसका वह खुद को हकदार समझता है, वह केंद्र सरकार से शिकायत कर सकता है।

ऐसी रीति जो समय-समय पर निर्दिष्ट की जाए

उचित अधिकार।

33. कानूनों के तहत अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इसकी पूर्ववर्ती धाराओं में निर्दिष्ट अधिकार और विशेषाधिकार

अध्याय किसी भी [2018] 4 एस. सी. आर. के अतिरिक्त होगा, न कि अपमान में।

के अधीन व्यक्तियों को प्रदत्त अन्य अधिकार और विशेषाधिकार

इस अधिनियम या नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों पर

आम तौर पर उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा बल प्रयोग करना।

**

25. धारा 27 पीड़ित अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए एक उपाय प्रदान करती है।

केंद्र सरकार को शिकायत, यदि उसके साथ किसी कमांडिंग अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अन्याय किया गया है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां कमांडिंग अधिकारी या अपीलार्थी के किसी वरिष्ठ अधिकारी की किसी भी कार्रवाई की शिकायत या पूछताछ की गई हो। अतः धारा 27 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

26. अधिनियम की धारा 33 पर आते हैं, जिसमें "बचत" का प्रावधान है।

अन्य कानूनों के तहत अधिकारों और विशेषाधिकारों का। उक्त प्रावधान इंगित करता है कि यह प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा सेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को प्रदान किए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों को बचाता है। ऐसे विशेषाधिकारों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

" ( (क) सभी सरकारी। पेंशन (सैन्य व्यक्तियों सहित) प्रतिरक्षित हैं।

दीवानी अदालतों के फरमानों के निष्पादन में कुर्की से;

एस. 11 पेंशन अधिनियम 1871, एस के लिए परन्तुक (जी)। 60 कोड का

सिविल प्रक्रिया 1908।

( ख) एन. सी. ओ. या सिपाहियों के वेतन या भत्तों की रसीदें जब

ऐसी क्षमता में सेवा करने पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है; भारतीय डाक टिकट

अधिनियम, अनुसूची 1.

( ग) सभी अधिकारी, जे. सी. ओ. एस., डब्ल्यू. ओ. एस. और या नियमित सेना के

कर्तव्य या मार्च के साथ-साथ उनके अधिकृत अनुयायियों पर,

परिवार, घोड़े, सामान और परिवहन सभी से मुक्त हैं।

नौकाओं आदि के पारगमन के लिए कुछ शुल्कों को छोड़कर

नहरें; एस। 3 भारतीय टोल (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 "।

27. उपरोक्त प्रावधान वर्तमान तथ्यों में लागू नहीं होता है।

मामला। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता सेना अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के अधीन व्यक्तियों को दिए गए किसी विशेषाधिकार का दावा कर रहा हो। इस प्रकार, धारा 33 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

28. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि

न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की कि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन ए. एफ. टी. के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं था। ए. एफ. टी. लौट आया है।

सक्षम अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने के लिए आवेदक का आवेदन। नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के त्रिपाठी [2018] 4 एस. सी. आर. 575

एडार्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

( 2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 129)

फरवरी 16,2018

[ दीपक मिश्रा, सीजेआई और संजय किशन कौल, जे।]

भारत का संविधान-Art.32-याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश मांगे। 4 7 को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भों के साथ फीचर फिल्म जारी करने/प्रदर्शित करने/प्रकाशित करने से

याचिकाकर्ता सोसायटी की भूमि/भवन/सदस्यता-याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म ने समाज को अस्वीकार्य तरीके से पेश किया है और इसका उन मुकदमों पर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है जो समाज के सदस्यों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के अलावा लंबित हैं। किसी विशेष स्थिति के संबंध में एक फिल्म अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण या 'त्रुटि क्षेत्राधिकार' के प्रयोग को प्रभावित नहीं करती है-कानून के न्यायालय रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर निर्णय लेते हैं न कि कल्पना के आधार पर जैसा कि थिएटर की भाषा में या सेल्युलॉइड पर एक स्क्रिप्ट में पेश किया जाता है-सिद्धांत

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी. बी. एफ. सी.) द्वारा प्रमाण पत्र, सेना के अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद, किसी भी स्थिति को दूर करना चाहिए। सदस्यों या समाज की आशंका-सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. किसी विशेष स्थिति के संबंध में एक फिल्म परीक्षण या 'त्रुटि क्षेत्राधिकार' के प्रयोग को प्रभावित नहीं करती है। अपीलीय न्यायालय। कानून की अदालतें अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर निर्णय लेती हैं न कि कल्पना के आधार पर जैसा कि थिएटर की भाषा में या सेल्युलॉइड पर एक स्क्रिप्ट में पेश किया जाता है। [ पैरा 8] [580-एफ-जी]

दर्शक के सचेत या अवचेतन विचार और यदि इस पर कोई सीमा होनी चाहिए, ऐसी सीमा निर्धारित कानून के अनुसार होनी चाहिए। [ पैरा 10] [581-डी-ई]

3. उप-न्याय के सिद्धांत को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि किसी सदस्य के लिए किसी प्रकार का संदर्भ या संकेत

हालाँकि, उक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उस पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अत्यंत संकीर्ण और उचित होना चाहिए। मापदंड। इस मामले में, सी. बी. एफ. सी. द्वारा सेना के अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने से सदस्यों या समाज की किसी भी आशंका को दूर किया जाना चाहिए। [ पैरा 17] [583-सी-ई]

आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106: [ 2009 ] 11 एस. सी. आर. 1026; महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेंद्र जवानमल गांधी (1997) 8 एस. सी. सी. 386: [ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 68; मुश्ताक मूसा तराइन बनाम। भारत सरकार (2005) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम। 385 ; नचिकेता वल्हेकर बनाम। केंद्रीय फिल्म बोर्ड

प्रमाणन और ए. एन. आर. ( 2018 ) 1 एससीसी 778; देवीदास

रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ( 2015 ) 6 एससीसी 1: [ 2015 ] 7 एससीआर 853-संदर्भित

को।

किंग्सले इंटरनेशनल पिक्चर्स कॉर्पोरेशन बनाम। राजप्रतिनिधियाँ न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय 360 यू. एस. 684,

688-89 ( 1959 ) – संदर्भित किया गया।

एडार्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

मामला कानून संदर्भ

[ 2009 ] 11 एससीआर 1026

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 68

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

2018 ( 1 ) स्केल 382

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

( 2018 ) 1 एस. सी. सी. 778

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[ 2015 ] 7 एससीआर 853

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

129 2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रवींद्र केशवराव एडसुरे,

सुश्री हिमांशी गुप्ता, सागर एन. पहुने पाटिल, प्रांजल किशोर, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. याचिकाकर्ता, एक पंजीकृत सोसायटी, है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका को प्राथमिकता दी गई जिसमें प्रतिवादी संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए उचित निर्देश मांगे गए थे। 4 7. याचिकाकर्ता सोसायटी की भूमि/भवन/सदस्यता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भों के साथ फीचर फिल्म, अर्थात् 'अय्यारी' को जारी करने/प्रदर्शित करने/प्रकाशित करने से,

इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जीवन के अधिकार को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उक्त उत्तरदाताओं को आगामी फीचर फिल्म के उन सभी हिस्सों को हटाने का आदेश दिया जाना चाहिए जिनमें समाज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं।

2. यह श्री संजय आर. हेगड़े, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्कित है।

याचिकाकर्ता के लिए, कि फिल्म, जो रिलीज़ होने वाली है, ने समाज को अस्वीकार्य तरीके से पेश किया है और इसमें कुछ होने की संभावना है

संवादों में समाज के साथ-साथ इसके सदस्यों की छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए संकेत हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि समाज के सदस्यों ने एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई है जो उन्हें बहुत प्रिय है उनके जीवन और यदि फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाती है, तो यह स्थापित प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा और भावी पीढ़ी को फिल्म में पेश की गई छवि याद रहेगी, लेकिन सदस्यों की वास्तविक छवि को नहीं। श्री हेगड़े के अनुसार, "रील प्रतिबिंब" "वास्तविक जीवन जीने" के बजाय लोगों की मानसिकता को आकर्षित करेगा।

8 ] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. यह विवाद में नहीं है कि फिल्म 'अय्यारी' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पहले ही आवश्यक प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ( सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') और उक्त बोर्ड ने सावधानी के उपाय के रूप में सेना के सक्षम अधिकारियों से भी सुझाव लिए हैं। वहाँ हो सकता है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेंसर बोर्ड एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है और उक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में, यह उन व्यक्तियों से भी परामर्श कर सकता है जो संविदात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने में इसकी सहायता कर सकते हैं। हम उन अधिकारियों की संख्या का नाम नहीं देना चाहते हैं जिन्हें अभिवचनों में संदर्भित किया गया है।

4. विद्वान वकील ने आर. के. आनंद बनाम पर जोर दिया था। पंजीयक,

दिल्ली उच्च न्यायालय 1 और हमारे लिए जिस अनुच्छेद की सराहना की गई है, वह नीचे दिया गया है:

" अदालत में किसी भी फैसले की परवाह किए बिना अपराध की व्यापक धारणा पैदा करके किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर टेलीविजन और समाचार पत्र कवरेज का प्रभाव। उच्च प्रचार मामलों के दौरान, मीडिया पर अक्सर लिंच मॉब के समान सार्वजनिक उन्माद के माहौल को भड़काने का आरोप लगाया जाता है, जो न केवल एक निष्पक्ष मुकदमे को असंभव बनाता है, बल्कि इसका मतलब है कि मुकदमे के परिणाम की परवाह किए बिना, सार्वजनिक धारणा में आरोपी को पहले से ही दोषी ठहराया जाता है और वह गहन सार्वजनिक जांच के बिना अपना शेष जीवन नहीं जी पाएगा।

5. महाराष्ट्र राज्य बनाम में निर्णय से एक मार्ग का भी उल्लेख किया गया है। राजेंद्र जवानमल गाँधी 'जो इस प्रकार कहता है:

" अपराध के आरोपी व्यक्ति के मुकदमे के संचालन को नियंत्रित करने वाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सार्वजनिक आंदोलन द्वारा मुकदमा कानून के शासन के बहुत विरोधी है। यह हो सकता है। यह न्याय की विफलता की ओर ले जाता है "।

6. से कुछ अंशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है

मुश्ताक मूसा तराइन बनाम में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय। भारत सरकार 3. जैसा कि श्री हेगड़े ने उक्त निर्णय के अनुच्छेदों पर बहुत जोर दिया है, हम इसे फिर से प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

" 56. सेंसर बोर्ड ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश सिनेमेटोग्राफी अधिनियम की धारा 5 बी (2) के तहत तैयार किए गए हैं। एक.

1 ( 2009 ) 8 एस. सी. सी. 106

2 ( 1997 ) 8 एससीसी 386 3 (2005) एससीसी ऑनलाइन बॉम।

385 एडार्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ दीपक मिश्रा, सीजेआई]

मार्गदर्शक कारकों में से एक यह है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय की मानहानि या अदालत की अवमानना से जुड़े दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी नहीं होना चाहिए

अनुमति दी गई जो न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि सेंसर बोर्ड को संतुष्ट होना चाहिए कि

दृश्यों या दृश्यों ने वास्तव में न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप किया है या बाधा डाली है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि इस मामले का फैसला सेंसर बोर्ड द्वारा अवमानना कानून के आधार पर किया जाना है। इसी तरह, दिशानिर्देशों द्वारा विचार किए गए "मानहानि" को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए मानहानि का अत्याचार करना जैसा कि कानून में समझा गया है। मोटे तौर पर, ये दिशानिर्देश इस सुस्थापित सिद्धांत को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हैं कि प्रत्येक अधिकार का एक संबंधित कर्तव्य या दायित्व होता है।

XXX

XXX

XX

X

" सिनेमाघरों के मालिकों और फिल्मों के वितरकों को यह महसूस करना चाहिए कि अगर वे इन सनसनीखेज फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी भाषा का उपयोग न करें जिससे न्याय के संचालन में कोई गड़बड़ी हो। 65. इस मामले के तथ्यों में निषेधाज्ञा या प्रतिबंध आदेश का अनुदान एक गैगिंग रिट नहीं है। याचिकाकर्ता ने एक मजबूत प्राइमा बनाया है

जैसे कि निष्पक्ष सुनवाई, जो कानून के शासन और न्याय प्रशासन का हिस्सा है, एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हावी होना चाहिए। लोगों के जानने के अधिकार को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि कानून के शासन का मजाक बनाया जाए। याचिकाकर्ता का निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार इस तरह के सभी पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं से अधिक होना चाहिए। सुविधा का संतुलन निश्चित रूप से एक निषेधाज्ञा के पक्ष में है क्योंकि प्रदर्शनी के खिलाफ प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए है और याचिकाकर्ता का उपरोक्त अधिकार के साथ-साथ सार्वजनिक हित इस तरह के प्रतिबंध के पक्ष में है। उत्तरदाताओं का वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित है जो गौण है। याचिकाकर्ता की गरिमा और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। यह अपूरणीय होगा क्योंकि दर्शक उसके अपराध के बारे में एक राय बना सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. इससे पहले कि हम निष्कर्ष पर पहुँचें, हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि यह मुकदमा इतिहास और लोगों के सुलह के संदर्भ में भी उन महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। यदि लोगों को बल और हिंसा पर प्रधानता रखने वाले स्थायी मूल्यों के रूप में सत्य और न्याय में विश्वास रखना है, तो यह उचित और आवश्यक है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि किया गया था। यदि कोई समाज न्याय करना चाहता है और इस तरह शांति और स्थिरता चाहता है, तो न्याय की धारा को यथासंभव स्वच्छ बनाए रखना होगा। यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा, भले ही वह आरोपी हो, को बनाए रखा जाए। जैसा कि हो सकता है। इसे इस दृष्टिकोण से भी देखते हुए, हम यह मान सकते हैं कि फिल्म की रिलीज का न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के साथ-साथ आरोपी की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने उस निषेधाज्ञा के लिए एक मामला बनाया है जो उसने इस आधार पर माँगा है कि फिल्म की रिलीज अदालत की अवमानना और उसकी मानहानि होगी।

7. उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री हेगड़े द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए फिल्म की रिलीज से न्याय की धारा प्रभावित होने की संभावना है और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश की मांग की जाती है। श्री हेगड़े ने अपनी पूरी विनम्रता के साथ बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसका हमने उल्लेख किया है।

यहाँ ऊपर। हम बंबई उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि एल. आई. एस. ने इस न्यायालय का दौरा किया है या नहीं और किसी भी मामले में, उसमें कहा गया सिद्धांत हमेशा एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उक्त मामले को अपने तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

8. जैसा कि हमें लगता है, किसी विशेष स्थिति के संबंध में एक फिल्म परीक्षण या 'त्रुटि क्षेत्राधिकार' के प्रयोग को प्रभावित नहीं करती है। अपीलीय न्यायालय। कानून की अदालतें इस आधार पर निर्णय लेती हैं कि

रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री न कि कल्पना के आधार पर, जैसा कि थिएटर की भाषा में या सेल्युलॉइड पर एक स्क्रिप्ट में पेश किया जाता है। इस संबंध में, हम पारित आदेश से एक अनुच्छेद को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। वी. यूनियन ऑफ इंडिया और Ors.ª 4 जो फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

4 2018 ( 1 ) स्केल 382 एडार्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी विचार की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखना होगा।

सिनेमा के माध्यम से जो एक सार्वजनिक माध्यम है, संविधान और क़ानून के तहत इसका अपना दर्जा है। अधिनियम के तहत एक सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने की अनुमति देता है। जैसा कि हम अधिनियम की भाषा और उसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों को स्कैन करते हैं, यह नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूहों की अवमानना करने वाले दृश्यों या शब्दों के उपयोग और प्रस्तुति को प्रतिबंधित करता है। जो भी हो सकता है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है कि एक बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, प्रथम दृष्टया एक अनुमान है

कि संबंधित प्राधिकारी ने सभी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा है

सार्वजनिक व्यवस्था सहित "।

9. नचिकेता वल्हेकर बनाम। केंद्रीय फिल्म बोर्ड

प्रमाणन और Anr.5, इस न्यायालय ने कहा कि एक फिल्म या एक नाटक या एक उपन्यास या एक पुस्तक कला की रचना है और एक कलाकार को खुद को इस तरह से व्यक्त करने की अपनी स्वतंत्रता है जो कानून में निषिद्ध नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिबंधों को अभिव्यक्तिपूर्ण दिमागों के अधिकारों को सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए।

10. न्यायालय ने कहा कि मानव इतिहास में ऐसे कई लेखक रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों को अपने शब्दों, वाक्यांशों में व्यक्त किया है,

अभिव्यक्तियाँ और सनकी चरित्र भी बनाए जो कोई साधारण नहीं हैं आदमी गर्भ धारण करेगा। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एक विचार-प्रेरक फिल्म का यह मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि यह उपदेशात्मक या किसी भी तरह से शुद्धतावादी होनी चाहिए।

बल्कि यह अभिव्यंजक हो सकता है और दर्शक के सचेत या अवचेतन विचारों को उत्तेजित कर सकता है और यदि इस पर कोई सीमा होनी है, तो ऐसी सीमा निर्धारित कानून के अनुसार होनी चाहिए।

11. उसी को विस्तार से बताते हुए, हम यह जोड़ सकते हैं कि एक अवधारणा को व्यक्त करने के लिए बहुआयामी तरीके, शिष्टाचार और तरीके हो सकते हैं। एक.

दृश्य रूप से वाक्पटु होने के लिए मौन का तरीका चुन सकते हैं और दूसरा अर्ध-मेलोड्रामैटिक दृष्टिकोण की विधि का उपयोग कर सकता है जिसका प्रभाव पड़ेगा। यह व्यक्तिगत विचार और दृष्टिकोण है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हेगड़े ने यह भी सुझाव दिया है कि हालांकि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जानी चाहिए।

फिर भी इस न्यायालय ने कुछ अवसरों पर समाज में व्यक्ति की छवि को प्राथमिकता देकर व्यक्तियों की छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा की है। 13. इस संबंध में उन्होंने देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम से प्रेरणा ली है। महाराष्ट्र राज्य & Ors.6। यह है।

$ ( 2018 ) 1 एस. सी. सी. 778

6 ( 2015 ) 6 एससीसी 1 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मिथकों से परे जो पूरी तरह से अवास्तविक हो सकते हैं या व्यंग्य, इफ़ेरिज़्म, कुख्यात रिपार्टियों में गंभीर विचारों को रख सकते हैं; अपनी शैली में समानताओं, रूपकों, उपमाओं की सहायता लें, जीवन की तुलना सैंडविच से करें जो हर दिन खाया जाता है या जीवन को प्याज के छिलकों की तरह व्यक्त करता है, या समाज एक ऐसे व्यंजन की तरह है जो विचारों को परिभाषित करता है जो आकाश में कभी भी नीचे नहीं आ सकते हैं और अपनी कल्पना पर हिंसा का कारण बन सकते हैं। 14. इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने राय दी कि एक 'काव्य लाइसेंस' में व्यक्तिगत विशेषताएं हो सकती हैं, मानदंडों से विचलित हो सकती हैं, या अन्य सामूहिक हो सकती हैं।

विशेषताएँ या इसमें एक वाक्यविन्यास वाक्य की तुलना में व्यापक भाषाई स्वतंत्रता हो सकती है। हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि विवाद इस न्यायालय तक गया क्योंकि निचली अदालत ने अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत आरोप तय किए थे और उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस अदालत ने कहा कि "आई मेट गांधी" कविता में इस्तेमाल की गई भाषा प्रथम दृष्टया अश्लील थी क्योंकि यह भाषा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित थी।

यद्यपि न्यायालय ने कविता के कुछ छंद उद्धृत किए, फिर भी उसने उपयोग किए गए शब्दों के कारण उक्त छंद को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत नहीं करना बुद्धिमानी मानी। अदालत ने पूरे विवाद पर निर्णय नहीं दिया क्योंकि कविता के लेखक ने आदेश को चुनौती नहीं दी थी। अश्लीलता की अवधारणा को "समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण" की पृष्ठभूमि में आंका गया था और अदालत ने फैसला सुनाया कि जब महात्मा गांधी के नाम का संकेत या प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है और अश्लील शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण के अलावा "डिग्री परीक्षण" की अवधारणा अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे यह कहते हुए विस्तार से बताया कि "समकालीन

सामुदायिक मानक परीक्षण "अधिक जोश के साथ, अधिक मात्रा में और मुखर तरीके से लागू हो जाता है। न्यायालय का विचार था कि समकालीन समुदाय को अन्यथा क्या पारित कर सकता है।

मानक परीक्षण ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा यदि महात्मा गांधी के नाम का उपयोग एक प्रतीक या संकेत या अतियथार्थवादी आवाज के रूप में शब्दों को रखने के लिए या उन्हें ऐसे कार्य करते हुए दिखाने के लिए किया जाता है जो अश्लील हैं।

एडार्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ दीपक मिश्रा, सीजेआई]

15. ऐसा कहते हुए, अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि कवि को मुकदमे में अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें तरीके और संदर्भ को समझाया गया है।

जिनका उन्होंने प्रयोग किया है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने आगे राय दी कि आरोप तय करने से संबंधित उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

16. हमारी सुविचारित राय में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हेगड़े द्वारा उपरोक्त निर्णय पर दी गई निर्भरता, ऐसा नहीं है।

कोई भी सहायता प्रदान करें। उक्त मामले में निर्धारित कानून उसमें दर्शाए गए तथ्यों पर आधारित है।

17. इस मोड़ पर, हम यह भी कह सकते हैं कि अधीनस्थ न्याय के सिद्धांत को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि किसी समाज के सदस्य के लिए किसी प्रकार का संदर्भ या संकेत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नकारने की गारंटी देगा जो संविधान के तहत निहित एक अत्यंत पोषित अधिकार है। जिस क्षण बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है, न केवल अधिकार बल्कि अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी अर्ध-कोमा में चला जाता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उस पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अत्यंत संकीर्ण और उचित मापदंडों के भीतर होना चाहिए। इस मामले में, हम यह सोचने के लिए बाध्य हैं कि सेना के अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद सीबीएफसी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने से सदस्यों या समाज की किसी भी आशंका को दूर किया जाना चाहिए।

18. इस संदर्भ में, हम किंग्सले इंटरनेशनल पिक्चर्स कॉर्पोरेशन बनाम के एक वाक्पटु अंश पर विचार कर सकते हैं। राजप्रतिनिधियाँ न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय 'जिसमें पॉटर स्टीवर्ट ने कहाः

" यह तर्क दिया जाता है कि राज्य की कार्रवाई उचित थी क्योंकि चलचित्र एक ऐसे संबंध को आकर्षक रूप से चित्रित करता है जो नैतिक मानकों, धार्मिक उपदेशों और अपने नागरिकों की कानूनी संहिता के विपरीत है। यह तर्क गलत समझता है कि संविधान किस बात की रक्षा करता है। इसकी गारंटी इस तक सीमित नहीं है कि

विचारों की अभिव्यक्ति जो पारंपरिक हैं या बहुमत द्वारा साझा की जाती हैं। यह इस राय की वकालत की रक्षा करता है कि व्यभिचार कभी-कभी उचित हो सकता है, समाजवाद या एकल कर की वकालत से कम नहीं। और विचारों के क्षेत्र में यह अभिव्यक्ति की रक्षा करता है जो वाक्पटुता से कम नहीं है जो अविश्वसनीय है।

7 360 यू. एस. 684,688-89 (1959)

19. वर्तमान विषय की प्रकृति हमें यह दोहराने के लिए मजबूर करती है कि मानव इतिहास स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्षों से भरा हुआ है, चाहे वह हो शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक। एक व्यक्ति की रचनात्मकता उसे स्थापित आदर्शों से बंधे या जंजीरों में बंधे या पिछले गुणों के गुलाम न बनने के लिए प्रेरित करती है और पैदल मार्ग पर चलने का विकल्प चुनती है। वह नए विचारों के साथ आनंद लेने की इच्छा रखता है और पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए खुद को प्रयास करता है। यही अस्तित्व से बनने की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प है,

अस्तित्व से संबंध तक और सामान्य धारणा से उदात्त अवधारणा तक। रचनात्मक बुद्धिमत्ता उसकी सोच प्रक्रिया को एक निश्चित लक्ष्य के बिना जीने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कई लक्ष्यों के साथ खेलती है। 20. अगर हम श्री हेगड़े के समर्पण के अंतिम फलक पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे। वह सुझाव देंगे कि यह न्यायालय कर सकता है

फिल्म के निर्माता और निर्देशक को एक अस्वीकरण जोड़ने का निर्देश दें ताकि समाज का कोई भी सदस्य अंततः फिल्म से प्रभावित न हो। पहले ब्लश पर उपरोक्त प्रस्तुति काफी आकर्षक लग सकती है, लेकिन थोड़ी और जांच करने पर, अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो इसे गुमनामी में पिघलना होगा। "अस्वीकरण" की आवश्यकता है या नहीं, यह सेंसर बोर्ड द्वारा तय किया जाना है जो प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला वैधानिक प्राधिकरण है। वास्तव में, जब एक अस्वीकरण जोड़ने की मांग की जाती है, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी आकर्षित होता है। विस्तार से बताने के लिए, निर्माता या निर्देशक को सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत को पूछने के लिए कोई अस्वीकरण नहीं जोड़ना चाहिए। डिस्क्लेमर जोड़ना पूरी तरह से एक अलग अवधारणा है। यह अनुदान देने के लिए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर है प्रमाण पत्र और निर्देशक से फिल्म की शुरुआत में एक अस्वीकरण जोड़ने के लिए कहना ताकि दिशानिर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचा जा सके। यद्यपि श्री संजय हेगड़े द्वारा यह सुझाव सही भाव से दिया गया है, फिर भी हम इसे स्वीकार नहीं करने के लिए प्रेरित हैं।

21. नतीजतन, रिट याचिका, योग्यता के बिना, खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिका खारिज की गई।